पूरे प्रदेश में लागू हुई उद्यमियों के लिए वेब–आधारित एकल विण्डो सुविधा

- *'निवेश मित्र' – उन्नत एकल विण्डो व्यवस्था सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए अनिवार्य; सूक्ष्म को छूट*
- *इन्टरनेट के माध्यम से जमा होंगे आवेदन फार्म और शुल्क*
- *सभी स्तरों पर कड़ी ऑनलाइन निगरानी*

लखनऊ, 23 सितम्बर 2012:
उत्तर प्रदेश में सुगम औद्योगिक एवं निवेश वातावरण तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने निवेश मित्र ऑनलाइन एकल विण्डो अनापत्ति निर्गत सुविधा का विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है।

इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न विभागों/निगमों से ऑनलाइन स्वीकृतियाँ, अनुमतियाँ, अनापत्तियाँ, प्रमाण–पत्रों आदि को निर्गत करने की सुविधा से अब तक वंचित 30 जनपदों में निवेश मित्र का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू कर दिया गया है। साथ ही अब सूक्ष्म इकाइयों को छोड़कर सभी– लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के लिए इस व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों को व्यवहारिक कठिनाओं के दृष्टिगत् ऑनलाइन या मैन्युली आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

इस वेब–आधारित सुविधा को उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया में गति, पारदर्शिता और उद्यमियों के लिए आसानी लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आवश्यक स्वीकृतियाँ, अनुमतियाँ, अनापत्तियाँ, प्रमाण–पत्र आदि समयबद्ध रूप से निर्गत हों। जबकि निर्धारित शुल्क का भुगतान नेट–बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं उद्योग बन्धु के अधिशासी निदेशक, अनिल कुमार गुप्ता ने कहा– *"सूचना प्रोद्यौगिकी पर आधारित यह अनुपम सुविधा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए न केवल निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी, अपितु सरकार की निवेशोन्मुख कार्यवाही और उद्यमियों को सहूलियत प्रदान करेगी।*

विशेष सचिव, अवस्थापना विकास एवं संयुक्त अधिशासी निदेशक, कौशलराज शर्मा ने बताया कि योजना के सुचारू संचालन के लिए संबन्धित विभागों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सभी जनपदों में जरूरी उपकरण व अवस्थापना सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि अब सूक्ष्म उद्योगों के अलावा सभी श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश मित्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में संबन्धित विभागों के नोडल अधिकारियों को योजना को क्रियान्वित करने के लिए नामित नोडल एजेन्सी उद्योग बन्धु द्वारा संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

समय व धन की बचत करने वाली इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को निवेश मित्र वेब–पोर्टल– **'www.udyogbandhu.com'** पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों व निवेशकों की सहायता के लिए नियम–पुस्तिका, फ्लोचार्ट और ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

विदित हो कि इस समय निवेश मित्र के तहत 12 विभागों की सेवायें इन्टरनेट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ये विभाग हैं– उद्योग, विद्युत, फैक्टरीज़, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, वन, आबकारी, वाणिज्य कर, खाद्य, श्रम एवं औषधि।